सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2025 / 842 दर्ज तिथिः–29.12.2025

1. अर्जुनराम पुत्र लाधा
2. थानाराम पुत्र धर्माराम
3. दलूदेवी पत्नी धर्माराम
4. हनुमानराम पुत्र धर्माराम
5. घमण्डा पुत्र पुनमा
6. जेठा पुत्र पूनमा
7. रामा पुत्र पुनमा
8. हनुमान पुत्र कोजा
9. समरथा पुत्र दीपा
10. मीरा पत्नी कोजा

जाति जाट निवासी खडियाली नाडी नोखडा तहसील नोखडा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार नोखडा

अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीगणः–स्वयं
अप्रार्थीगणः– एकतरफा
प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–ःनिर्णयः–

निर्णय तिथिः–05.03.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि
    - कि प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी मूल खसरा संख्या 829 है0 मौजा खड़ीयाली नाड़ी एवं खसरा संख्या 123, 546 मौजा बाण्ड पटवार हल्का बाण्ड तहसील नोखड़ा में अवस्थित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.21 14:45:49 IST
Reason: SelfAttested

- कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरों का बंटवारा प्रशासन गांवों के संग अभियान—2023 में करवाया था। लेकिन तरमीम मौका रिपोर्ट अनुसार नहीं की गई इसलिए मौका एवं राजस्व नक्शा में भिन्नता उत्पन्न हो गई। एक प्रार्थी का कब्जा, ढाणी, टांका इत्यादि राजस्व नक्शें में दुसरे प्रार्थी के कब्जे में आ रहे है।
- कि प्रशासन गांवों के संग अभियान—2023 में किये गये बटवारे के आधार पर तरमीम नहीं होने से उक्त तरमीम को सभी प्रार्थीगण की सहमति से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है। जिससे मौके एवं राजस्व नक्शें में एकरूपता आ सके। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तरमीम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

2. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा समस्त प्रार्थीगण की सहमति से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त मौका रिपोर्ट तरमीम दुरूस्ती पर सभी प्रार्थीगण के हस्ताक्षर उपलब्ध है। प्रार्थीगण ने आराजी की तरमीम सहमति से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु सहमति से मौका रिपोर्ट मय प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:—

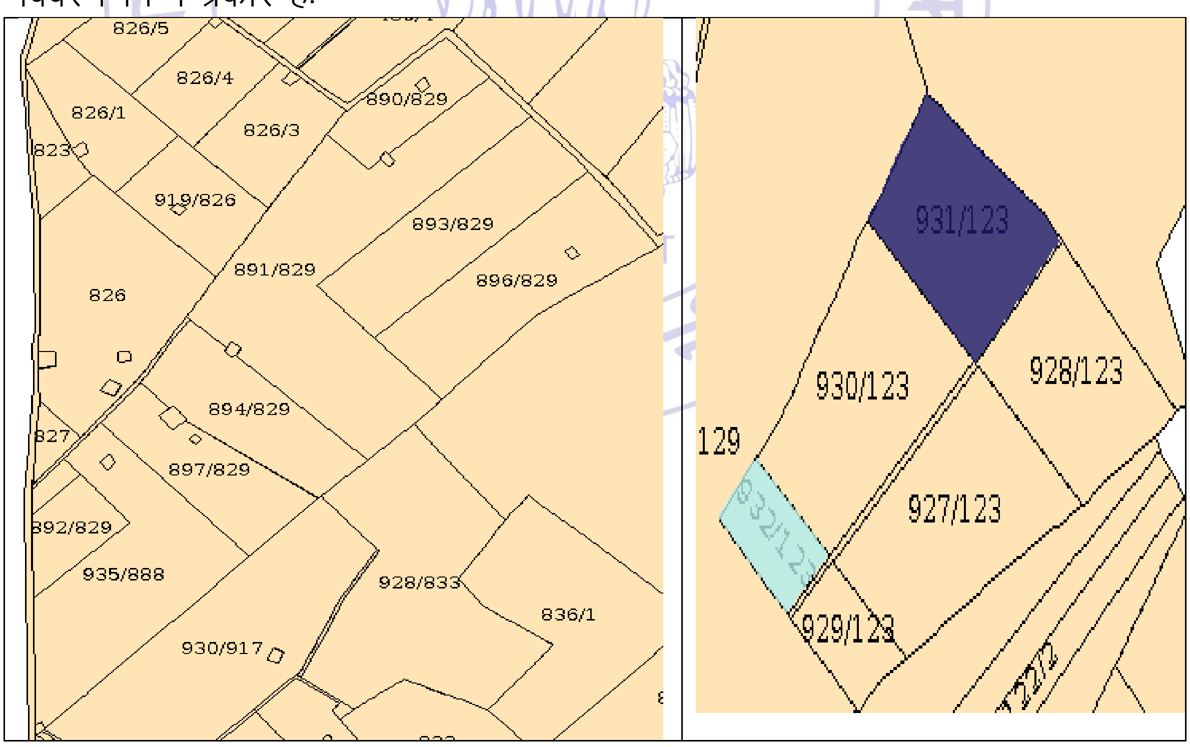

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.21 14:45:49 IST
Reason: SelfAttested

6. हाल राजस्व रिकॉर्ड व तहसीलदार नोखड़ा द्वारा समस्त प्रार्थीगण की सहमति से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

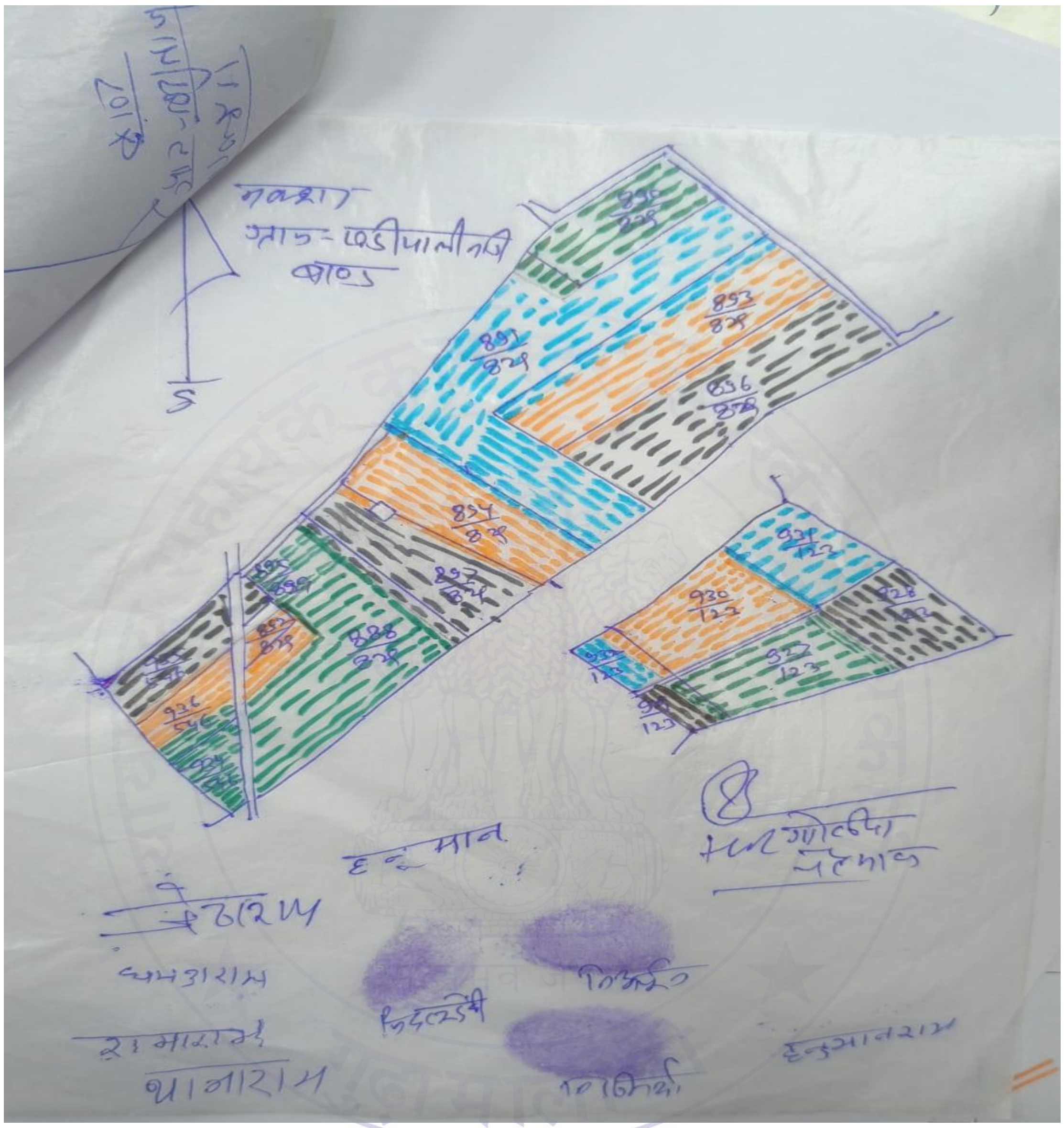

7. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा समस्त प्रार्थीगण की सहमति से प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

<table>
<tr><th>क्र.स.</th><th>खातेदार का नाम</th><th>हिस्सा</th><th>ग्राम</th><th>खसरा संख्या</th><th>वर्तमान रकबा है0</th><th>संशोधित रकबा है0</th><th>बरंग</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1</td><td>अर्जुन वल्द लाधा</td><td>1 / 2</td><td rowspan="2">बाण्ड</td><td>927 / 123</td><td>2.1198</td><td>2.1198</td><td rowspan="4">हरा</td></tr>
<tr><td>थानाराम पुत्र धर्माराम</td><td>7 / 36</td><td>934 / 546</td><td>1.2676</td><td>0.9186</td></tr>
<tr><td>दलूदेवी पत्नी धर्माराम</td><td>1 / 9</td><td rowspan="2">खडियाली नाडी</td><td>888 / 829</td><td>4.7215</td><td>4.6339</td></tr>
<tr><td>हनुमान पुत्र</td><td>7 / 36</td><td>890 / 829</td><td>1.4519</td><td>1.8885</td></tr>
</table>

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.21 14:45:49 IST
Reason: SelfAttested

	धर्माराम						
	जाति जाट सा0 देह खातेदार			योग	9.5608	9.5608	
2	घमण्डा पुत्र पूनमा	1/3	खडीयाली नाडी	895/829	0.1865	0.3065	काला
	जेठा पुत्र पूनमा	1/3		896/829	3.3993	3.7205	
	रामा पुत्र पूनमा	1/3		897/829	2.7469	2.3987	
	जाति जाट सा0 देह		बाण्ड	928/123	1.6187	1.8771	
				929/123	0.5012	0.2428	
				935/546	1.1084	1.0154	
			योग		9.5610	9.5610	
3	हडूमान पुत्र कोजा	पूर्ण	खडीयाली नाडी	892/829	1.0324	0.6291	केसरिया
				893/829	3.3993	3.5873	
				894/829	2.6982	2.4715	
			बाण्ड	930/123	2.1198	2.1198	
				936/546	0.2625	0.7045	
			योग		9.5122	9.5122	
4	समर्था पुत्र दीपा जाति जाट सा0 देह	पूर्ण	खडियाली नाडी	891/829	7.4410	7.4410	आसमानी
			बाण्ड	931/123	1.6187	1.7961	
				932/123	0.5011	0.3237	
			योग		9.5608	9.5608	

8. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा समस्त प्रार्थीगण की सहमति से प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार नोखड़ा द्वारा समस्त प्रार्थीगण की सहमति से प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम से सभी प्रार्थी सहमत हैं। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार नोखड़ा द्वारा समस्त प्रार्थीगण की सहमति से प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोखड़ा को निर्देश दिये जाते हैं कि तहसीलदार नोखड़ा द्वारा समस्त प्रार्थीगण की सहमति से प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार नोखड़ा को भिजवायी जावें।
यह आदेश आज दिनांक 05.03.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.21 14:45:49 IST
Reason: SelfAttested